भारत सरकार
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग
लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 2071

बुधवार, 02 अगस्त, 2023 को उत्तर दिए जाने के लिए

एसआईएसएफएस

2071. श्री चंद्र शेखर साहू:
श्री राहुल रमेश शेवाले:
डॉ. प्रीतम गोपीनाथ राव मुंडे:

क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम (एसआईएसएफएस) के अंतर्गत विशेषकर ओडिशा सहित अब तक राज्य-वार कितने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम शुरू/स्थापित किए गए हैं;
(ख) वर्ष 2022-23 के दौरान योग्य स्टार्टअप्स की सहायता के लिए उपयोग की गई निधि का विशेषकर ओडिशा सहित राज्य-वार ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या उक्त योजना की कोई कार्य-निष्पादनगत निगरानी प्रणाली है; और
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री सोम प्रकाश)

(क) से (घ) : स्टार्टअप इंडिया पहल के अंतर्गत सरकार स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम (एसआईएसएफ़एस) को कार्यान्वित करती है, जिसे 945 करोड़ रुपए के कॉर्पस के साथ वर्ष 2021-22 से 4 वर्ष की अवधि के लिए स्वीकृत किया गया था। यह स्कीम, स्टार्टअप्स को अवधारणा के साक्ष्य, प्रोटोटाइप विकास, उत्पाद परीक्षण, बाजार प्रवेश और वाणिज्यीकरण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है। यह स्कीम 1 अप्रैल, 2021 से कार्यान्वित की जा रही है।

एसआईएसएफएस के तहत, विशेषज्ञ सलाहकार समिति (ईएसी), एसआईएसएफएस के समग्र कार्य-निष्पादन और मॉनीटरिंग के लिए उत्तरदायी है। ईएसी ही इस स्कीम के तहत निधि के आबंटन हेतु इन्क्यूबेटरों का मूल्यांकन और चयन करती है। प्रत्येक चयनित इन्क्यूबेटर के अंतर्गत एक इन्क्यूबेटर सीड प्रबंधन समिति (आईएसएमसी) होती है, जिसमें विशेषज्ञ शामिल होते हैं जो योजना संबंधी दिशानिर्देशों में उल्लिखित कतिपय मापदंडों (जो कि https://dpiit.gov.in/startup-india/startup-india-initiative पर ऑनलाइन उपलब्ध हैं) के आधार पर स्टार्टअप्स का मूल्यांकन और चयन करते हैं।

30 अप्रैल, 2023 की स्थिति के अनुसार, ईएसी द्वारा एसआईएसएफएस के अंतर्गत 160 इन्क्यूबेटरों के लिए 611.36 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गई है। स्वीकृत इन्क्यूबेटरों ने 176.63 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु 1,039 स्टार्टअप्स का चयन किया है।

30 अप्रैल, 2023 की स्थिति के अनुसार एसआईएसएफएस के अंतर्गत अनुमोदित इन्क्यूबेटरों द्वारा चयनित स्टार्टअप्स का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण **अनुबंध-I** में दिया गया है।

वित्त वर्ष 2022-23 के लिए ईएसी द्वारा इन्क्यूबेटरों को अनुमोदित राशि का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण **अनुबंध-II** में दिया गया है।

वित्त वर्ष 2022-23 के लिए एसआईएसएफएस के तहत अनुमोदित इन्क्यूबेटरों द्वारा

चयनित स्टार्टअप्स को स्वीकृत राशि का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण **अनुबंध-III** में दिया गया है।

****

अनुबंध-I

दिनांक 02.08.2023 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2071 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

अप्रैल 2023 की स्थिति के अनुसार एसआईएसएफएस के तहत इन्क्यूबेटरों द्वारा चयनित स्टार्टअप्स का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण निम्नानुसार है:

क्र. सं.	**राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम**	**अनुमोदित इन्क्यूबेटरों द्वारा चयनित स्टार्टअप्स की संख्या**
1.	आंध्र प्रदेश	13
2.	अरुणाचल प्रदेश	1
3.	असम	14
4.	बिहार	17
5.	चंडीगढ़	7
6.	छत्तीसगढ़	5
7.	दिल्ली	64
8.	गोवा	15
9.	गुजरात	81
10.	हरियाणा	50
11.	हिमाचल प्रदेश	3
12.	जम्मू और कश्मीर	2
13.	झारखंड	5
14.	कर्नाटक	174
15.	केरल	32
16.	मध्य प्रदेश	53
17.	महाराष्ट्र	193
18.	मणिपुर	2
19.	मेघालय	1
20.	नागालैंड	1
21.	ओडिशा	24
22.	पुडुचेरी	5
23.	पंजाब	5
24.	राजस्थान	27
25.	सिक्किम	2
26.	तमिलनाडु	85
27.	तेलंगाना	69
28.	उत्तर प्रदेश	68
29.	उत्तराखंड	6
30.	पश्चिम बंगाल	15
	कुल योग	**1,039**

****

अनुबंध II

दिनांक 02.08.2023 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2071 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

वित्त वर्ष 2022-23 के लिए ईएसी द्वारा इनक्यूबेटरों को अनुमोदित राशि का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण निम्नानुसार है:

क्र.सं.	**राज्य/संघ राज्य क्षेत्र**	**स्वीकृत इन्क्यूबेटरों की संख्या**	**इन्क्यूबेटरों को स्वीकृत कुल राशि (करोड़ रुपए)**
1	आंध्र प्रदेश	2	7.35
2	असम	1	2.1
3	बिहार	3	12.6
4	छत्तीसगढ़	2	3.15
5	दिल्ली	4	19.95
6	गुजरात	13	45.15
7	हरियाणा	4	12.6
8	हिमाचल प्रदेश	1	3.15
9	कर्नाटक	4	21
10	मध्य प्रदेश	2	5.25
11	महाराष्ट्र	15	56.175
12	मिजोरम	1	1.05
13	नागालैंड	1	2.1
14	ओडिशा	3	8.4
15	पुडुचेरी	1	5.25
16	पंजाब	3	11.55
17	राजस्थान	3	7.35
18	तमिलनाडु	8	28.35
19	तेलंगाना	2	10.5
20	उत्तर प्रदेश	2	5.25
	कुल योग	**75**	**268.275**

*****

अनुबंध-III

दिनांक 02.08.2023 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2071 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

वित्त वर्ष 2022-23 के लिए एसआईएसएफएस के तहत अनुमोदित इनक्यूबेटरों द्वारा चयनित स्टार्टअप्स को स्वीकृत राशि का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण निम्नानुसार है:-

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	स्वीकृत स्टार्टअप्स की संख्या	स्टार्टअप्स को स्वीकृत कुल राशि (करोड़ रुपये)
1	महाराष्ट्र	132	17.56
2	कर्नाटक	94	16.52
3	गुजरात	59	8.61
4	तमिलनाडु	50	9.36
5	तेलंगाना	49	7.00
6	मध्य प्रदेश	44	5.83
7	उत्तर प्रदेश	39	5.97
8	दिल्ली	37	7.27
9	हरियाणा	37	4.90
10	राजस्थान	20	2.82
11	केरल	19	3.36
12	ओडिशा	15	2.52
13	बिहार	12	2.24
14	असम	9	0.74
15	आंध्र प्रदेश	9	0.66
16	पश्चिम बंगाल	8	0.56
17	पंजाब	7	0.57
18	चंडीगढ़	6	0.65
19	गोवा	6	0.66
20	उत्तराखंड	5	1.00
21	छत्तीसगढ़	3	0.12
22	झारखंड	3	0.30
23	जम्मू और कश्मीर	2	0.10
24	पुदुच्चेरी	2	-
25	मणिपुर	2	0.15
26	सिक्किम	1	0.05
27	अरुणाचल प्रदेश	1	0.20
28	हिमाचल प्रदेश	1	0.15
29	नगालैंड	1	0.25
30	मेघालय	1	0.20
	कुल योग	**674**	**100.30**

****